कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 59/17-5-18 दिनांकः– 17-5-2018

धारा 53 RTA

:: निर्णय /डिकी ::

श्री छगनलाल जीवतराम चंपा दुर्गा पिता रतना एवं मणी बेवा रतना जाति चमार ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत केम्प ओडवाडिया में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। खातेदारों द्वारा ग्राम ओडवाडियाा की सम्पवत् 2070–73 की प्रमाणित प्रति बटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्सें को पृथक–2 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया । बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारे की अनुशंषा की गई।

ग्राम ओडवाडिया पटवार हल्का ओडवाडिया की जमाबंदी संवत् 2070–73 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 180 नई तथा 170 पुरानी खसरा नं0 2182/2101 योग किता 01 योग रकबा 05 बीघा 00 बिस्वा में श्री छगनलाल जीवतराम चंपा दुर्गा पिता रतना एवं मणी बेवा रतना जाति चमार सहखातेदार है। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम ओडवाडिया के खाता संख्या 180 नई तथा 170 पुरानी खसरा नं0 2182/2101 योग किता 01 योग रकबा 05 बीघा 00 बिस्वा का सहखातेदरों के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय/डिकी की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल–दरामद की कार्यवाही करे। बटवार स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर